

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं. 14 / 200-2/

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/9/19	<p>झारखंड सरकार के आदेश सं-2074/रा0 दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 न0 निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मीजा-कोलाकुसगा मीजा न0- 12 खाता न0 142</p> <p>प्लॉट न0 3376 रकबा 4 कट्ठा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मीजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ संख्या 3407 पर जमाबंदी रैयत श्री मुरारी कुमार पिता-अजय साव के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश सं/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोठकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/त्सदा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राजस्व को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना बाध्यनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 24/9 को रखे।</p>	


 अंचल अधिकारी
 धनबाद।

9/4/19

अभिलेख उपस्थापित अंचल निरीक्षक से मातव्य / प्रतिवेदन प्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 29/4/19 को रखे।


अंचल अधिकारी
धनबाद।

29/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहरस्ताहारी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 21/5/19 को रखे।


अंचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मातव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक
29/6/20 को रखें।



अंचल अधिकारी
धनबाद।

29/6/20


अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा
झौला कुसका मौजा नं० 12 खाला 142 प्लॉट
नं० 5376 रकबा 4 कूहा भूमि से संबंधित है। आवेदित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रयत
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित
भूमि दाखिल खारिज केंस नं० (.....) के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्यद माना गया
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधन।



अंचल अधिकारी,
धनबाद।



अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

बाद अभिलेख संख्या- _____ / 2018 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

नाम श्री सुरजी कुमार
पिता- जगन साह

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- कोल्/कुम्हा थाना नं०- 12
खाता नं०- 142 खेसरा नं०- 3376 रकबा- 4481 से संबंधित आपके नाम से
हो नं०- 2 के पंजी- II भाग 18 के पृष्ठ 3407 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त सदिग्ध प्रतिवेदित किया है।


अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- _____ को समय- 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मूलपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अचोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि-

मुहर


अंचल अधिकारी

स्थान-

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4164

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम : श्री मुजारी कुमार सिंह जजन साव

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>कीलापुरा</u>	<u>12</u>	<u>142</u>	<u>3376</u>	<u>५०४८</u>

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या 18..... पृष्ठ सं० 3427.... पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 2007/08

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आबाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती / दा० खा० मु० सं० 1117
(1) 2007/08 के 31/12/2007 के जमाबंदी सं० 144 से बदल

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- मुजारी साव

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -

9. संदेहास्पद जमाबंदी को जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

टाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसुली वर्ष
<u>01</u>	<u>073576</u>	<u>15/09/07</u>	<u>2007/08</u>
<u>02</u>			
<u>03</u>	<u>2847333</u>	<u>20/11/10</u>	<u>09-10 + 10-11</u>